न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/7115/2022/अजमेर

त्रिलोक सिंह पुत्र घीसासिंह जाति रावत निवासी मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर

–अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह
2. श्रीमती झूमी पत्नी चन्दनसिंह
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र चन्दनसिंह
4. महेन्द्र सिंह पुत्र चन्दनसिंह
5. कान्ता पुत्री चन्दनसिंह
6. मक्खनसिंह पुत्र बुद्धासिंह
7. दुर्गासिंह पुत्र बुद्धासिंह
8. जयसिंह पुत्र बुद्धासिंह
9. पप्पूसिंह पुत्र बुद्धासिंह
10. रणवीर सिंह पुत्र बुद्धासिंह

–समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर

11. श्रीमती धन्नी पत्नि बुद्धासिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

    11/1. श्रीमती अनिता पत्नि बाबूलाल पुत्री बुद्धासिंह रावत निवासी माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर
    11/2. श्रीमती गीता पत्नि हरचंद पुत्री बुद्धासिंह जाति रावत निवासी काजीपुरा बोराज, तहसील व जिला अजमेर
    11/3. श्रीमती सुनीता पत्नि हनुमानसिंह पुत्री बुद्धासिंह निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर
    11/4. इन्द्रा पुत्री बुद्धासिंह – मृतक (जरिये कायममुकाम)
    11/4/1. मुकेश पुत्र श्रीमती इन्द्रा पत्नि शैतानसिंह दोहिता बुद्धासिंह जाति रावत निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर
    11/4/2. सुमेरसिंह पुत्री इन्द्रा पत्नि शैतानसिंह दोहिता बुद्धासिंह जाति निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर
    11/4/3. सीमा पुत्री इन्द्रा पत्नि शैतानसिंह जाति रावत निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

(2) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/7119/2022/अजमेर

त्रिलोक सिंह पुत्र घीसासिंह जाति रावत निवासी मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर

–अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह
2. बुद्धासिंह पुत्र घीसासिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   - 2/1. चन्दनसिंह पुत्र बुद्धासिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
     - 2/1/1. श्रीमती झूमी पत्नि चन्दनसिंह
     - 2/1/2. जितेन्द्रसिंह पुत्र चन्दनसिंह
     - 2/1/3. महेन्द्रसिंह पुत्र चन्दनसिंह
     - 2/1/4. कान्ता पुत्री चन्दनसिंह
   - 2/2. मक्खनसिंह पुत्र बुद्धासिंह
   - 2/3. दुर्गासिंह पुत्र बुद्धासिंह
   - 2/4. जयसिंह पुत्र बुद्धासिंह
   - 2/5. पप्पूसिंह पुत्र बुद्धासिंह
   - 2/6. रणवीरसिंह पुत्र बुद्धासिंह
   - 2/7. श्रीमती धन्नी पुत्री बुद्धासिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
     - 2/7/1. श्रीमती अनिता पत्नि बाबूलाल पुत्री बुद्धासिंह रावत निवासी माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर
     - 2/7/2. श्रीमती गीता पत्नि हरचंद पुत्री बुद्धसिंह जाति रावत निवासी काजीपुरा बोराज तहसील व जिला अजमेर
     - 2/7/3. श्रीमती सुनीता पत्नि हनुमानसिंह पुत्री बुद्धासिंह निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर
     - 2/7/4. मुकेश पुत्र श्रीमती इन्द्रा पत्नि शैतानसिंह दोहिता बुद्धासिंह जाति रावत निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर
     - 2/7/5. सुमेर पुत्री इन्द्रा पत्नि शैतानसिंह दोहिता बुद्धासिंह जाति निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर
     - 2/7/6. सीमा पुत्री इन्द्रा पत्नि शैतानसिंह जाति रावत निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री आर.डी.मीणा, सदस्य

उपस्थित –
(प्रकरण संख्या : 5310/2019)
श्री दिलीप सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री अजीत लोढा एवं पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्तागण, प्रत्यर्थीगण
(प्रकरण संख्या : 5312/2019)
श्री दिलीप सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्तागण, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2023

यह दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या– 276/2017 एवं अपील संख्या– 272/2018 में पारित एक ही निर्णय दिनांक 11–09–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दु समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों में पारित एकजाई निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष वादी/अपीलार्थी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत ग्राम थोक मालियान अजमेर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 4846 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा संख्या 4844 रकबा 4 बीघा भूमि की खातेदारी बाबत प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2/1 लगायत 2/7 ने अपना जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि प्रश्नगत आराजी का बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत

2/7 को 1/3 हिस्से की भूमि का पृथक खाता कायम किया जावे एवं उपरोक्तानुसार बंटवारा किया जाकर खाता कायम किया जावे। इसी के साथ उन्होंने यह अनुतोष चाहा कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायध्त 2/7 के हिस्से में आयी आराजी पर प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त में दखन्दाजी नहीं करने बाबत वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। उक्त दावे, प्रतिवाद तथा जवाबदावे के आधार विचारण न्यायालय ने वाद में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर अनुतोष सहित 6 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 29–06–2016 पारित कर वादी के वाद को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त एक ही निर्णय डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी अन्नासिंह व बुद्धसिंह/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील संख्या 276/2017 पेश की। इसी प्रकार अपीलार्थी/वादी ने अपील संख्या 272/2018 पेश की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पेश की गयी उक्त दोनों अपीलों को एकजाई कर विचारण करते हुए एक ही आक्षेपित निर्णय दिनांक 11–09–2019 पारित किया। न्यायालय ने उक्त निर्णयानुसार वादी/अपीलार्थी द्वारा दायर अपील 272/2018 को खारिज करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गयी अपील 276/2018 को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–06–2016 उपरोक्तानुसान निरस्त किया जाता है तथा ग्राम अजमेर थोक मालियान शामलात थोक मालियान अजमेर के तीस साला खसरा नंबर 4518/2 जिसके चौसाला खसरा नंबर 4846 रकबा 18–5–00 एवं खसरा संख्या 4844 रकबा 4–0–0 बीघा भूमि में त्रिलोकसिंह पुत्र घीसासिंह को 1/3 हिस्सा, अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह को 1/3 हिस्से का एवं बुद्धासिंह पुत्र घीसासिंह के वारिसान 2/1 लगायत 2/6 एवं 2/7/1 लगायत 2/7/6 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, अजमेर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे एवं त्रिलोकसिंह पुत्र घीसासिंह के पक्ष में 1/3 हिस्से का बंटवारा एवं अन्नासिंह पुत्र घीसासिंह के पक्ष में 1/3 हिस्से का बंटवारा

एवं बुद्धासिंह के उपरोक्त वारिसान के पक्ष में 1/3 हिस्से का बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। उक्त दोनों अपीलों में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने हस्तगत दोनों द्वितीय अपीलें मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना कथित किया। उनका कथन है कि मामले में विचारण न्यायालय ने दावे, जवाबदावे व काउन्टर क्लेम के आधार पर विवाद्यक बनाकर अपना निर्णय पारित नहीं करने के कारण विचारण न्यायालय का निर्णय आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उनका मुख्य रूप से कथन है कि पारिवारिक कृषि भूमि का विभाजन में प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि के बदले में अन्य भूमियों को प्राप्त कर लिया है। परन्तु वर्तमान में प्रश्नगत रकबा संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। उनका कहना है कि दोनों ही न्यायालयों ने सम्भागीय आयुक्त अजमेर द्वारा निर्णित प्रकरण को आधारित करके अपने निर्णय पारित किए है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है कि सम्भागीय आयुक्त का निर्णय वाद दायरी के बाद का है। इस कारण उक्त निर्णय को आधारित किया जाना अनुचित है। उनका तर्क है कि पारिवारिक विभाजन के बाद प्राप्त आराजी पर वादी द्वारा पुख्ता निर्माण व चाह बना ली है। उनका यह भी तर्क है कि पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत रकबे के अतिरिक्त अन्य भूमियां भी संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। ऐसी भूमि बाबत अधिनियम की धारा 53 का वाद दायर किए बिना विधिवत विभाजन किया जाना सम्भव नहीं है। उनका आगे तर्क रहा कि प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद में अन्य संयुक्त खाते की आराजी को सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण ऐसी भूमि का विभाजन नहीं किया जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में

मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 11–09–2019 व उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–06–2016 को निरस्त करते हुए वादी के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत विपक्षीगण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का कथन है कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। उनका कहना है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत रकबे को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया गया है तथा क्रय किए जाने के बाद आराजी प्रतिवादीगण की नियमनशुदा आराजी है। जिस बाबत वादी ने गलत तथ्यों का समावेश करते हुए वाद दायर किया है। उनका आगे कहना है कि मामले में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को गलत रूप से खारिज किया है। आगे बताया कि राजस्व अधिकारियों ने प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिए नामान्तरकरण संख्या 39 गलत रूप से नगर सुधार न्यास के पक्ष में तस्दीक कर अनियमितता की है। उक्त कार्यवाही को चुनौती दिए जाने पर आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही को अपास्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबा बुद्धासिंह, त्रिलोक व अन्नासिंह की संयुक्त रूप से क्रयशुदा भूमि होकर संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि है। उनका आगे कहना है कि मामले में सम्भागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित निर्णय आदिनांक तक प्रभावी है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत आलोच्य दोनों द्वितीय अपीलों को खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया।

8. उक्त दोनों अपीलों के विचाराधीन रहने के दौरान अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 06–9–2021 को तैयार की गयी नकल मौका पर्चा रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी तथा खसरा परिवर्तित निर्धारण व गैर मुस्तकिल काश्त संवत 2069 वर्ष 2003–04 फसल खरीफ ग्राम अजमेर थोक मालियान जिसमें अपीलार्थी त्रिलोकसिंह पुत्र घीसासिंह काश्तकार के रूप में अंकन की प्रमाणित प्रति जो कि पब्लिक रेकार्ड है तथा संदेह से परे हैं, जिन्हें रेकार्ड पर लिए जाने से अपील का निर्णय किए जाने में सहायता प्राप्त होगी। व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 27 का सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः–

अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना – (1) **अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने के हकदार नहीं होंगे किन्तु यदि –**

(क) उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर दिया है जो ग्रहण किया जाना चाहिए था, अथवा

(कक) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था, जब वह डिक्री पारित की गई थी जिसके विरूद्ध अपील की गई है, अथवा

(ख) अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान हेतुक के लिए करें,

तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अपील न्यायालय अनुज्ञा दे देता है वहां न्यायालय ऐसे साक्ष्य के ग्रहण किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

–आलोच्य प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा पेश किए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी में दिए गए उपरोक्त विधिक प्रावधानों के क्रम में प्रार्थना पत्र का परीक्षण करने पर विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य ग्रहण

करने से मना किया हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। द्वितीय यह कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो खसरा गिरदावरी सम्वत 2069 प्रस्तुत की गई है, वह विचारण न्यायालय के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं की ? इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तृतीय अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो मौका रिपोर्ट दिनांक 06-9-2021 की प्रस्तुत की है, वह किसी न्यायालय के आदेश से तैयार नहीं होकर तहसीलदार द्वारा अपने स्तर पर तैयार करायी है, जिसे इस स्तर (इस न्यायालय में) पर ग्रहण नहीं किया जा सकता है। चतुर्थ इस न्यायालय द्वारा भी किसी साक्ष्य की अपेक्षा अपीलार्थी से नहीं की गयी है। परिणामतः उपरोक्त की गयी विवेचनानुसार आलोच्य प्रकरण में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी में दिये गये विधिक प्रावधानों की स्थिति लागू नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

9. प्रकरण में गुणावगुण के संबंध में स्थिति इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा वाद पत्र में किए अंकन एवं प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर व राजस्व मण्डल के समक्ष दायर प्रकरण में पारित निर्णय के प्रकाश में प्रकरण का अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा पुनः विचारण करने के बाद पारित किए निर्णय से यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि प्रश्नगत रकबे में अन्नासिंह का 1/3 हिस्सा, बुद्धासिंह के वारिसान का 1/3 हिस्सा तथा वादी का 1/3 हिस्सा निर्धारित होता है। रेकार्ड से आराजी के हिस्से के बाबत मामले में उभयपक्ष की स्वीकारोक्ति परिलक्षित होती है। उपलब्ध दस्तावेजों से यह विदित होता है कि वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत रकबे को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया गया है तथा जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिजकाश्त है। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रश्नगत रकबे पर अपना सम्पूर्ण कब्जा अंकित कर वाद दायर किया है, जबकि प्रश्नगत रकबा तीनों भाईयों द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09-09-1959 द्वारा संयुक्त रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया

जाना प्रदर्शित होता है। मामले में सम्पादित उक्त विक्रय विलेख को वादी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दिए जाने बाबत पत्रावली में किसी प्रकार की साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विलेख वर्तमान में प्रभावी माना जायेगा। सांराशतः रेकार्ड से तीनों भाईयों का आराजी में सहहिस्सेदार होना मानते हुए उनके द्वारा बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जाकाश्त होना स्पष्ट है। जिसकी भूमि के संबंध में प्रस्तुत जमाबंदी एवं भू प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन पत्र सम्वत 2030 से भी पुष्टि होती है कि वादी व प्रतिवादीगण भूमि के संयुक्त क्रेता होकर शामलाती काबिजकाश्त दर्ज है।

10. द्वितीय यह कि मामले में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा पेश किए गए काउन्टर क्लेम के बारे में प्रतिवादीगण को पृथक से बंटवारा वाद लाने हेतु आदेशित किया है। इस बाबत उल्लेखनीय है कि प्रतिवाद पत्र की प्रवृत्ति एक सम्पूर्ण वाद के समान होता है जिसका कि वादी द्वारा नियमानुसार जवाबदावा पेश किया जाना अपेक्षित होता है। हस्तगत मूल वाद की कार्यवाही में वादी द्वारा अपना जवाबदावा दायर नहीं किया गया है। अतः खण्डन के अभाव में अभिवचन में किए गए तथ्यों की स्वीकारोक्ति मानी जायेगी। उल्लेखनीय है कि वादी के वाद में ही जब प्रतिवादीगण के वारिसान द्वारा बंटवारा बाबत प्रतिवाद पत्र पेश कर दिया तो ऐसी स्थिति में पृथक से वाद दायर करने का विचारण न्यायालय का निष्कर्ष समर्थन योग्य नहीं है। उपलब्ध पत्रावली के परीक्षण के बाद यह न्यायालय हस्तगत मामले में ऊपर की गयी व्याख्या के क्रम में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधानिकता होना नहीं पाता है। तदनुसार प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होना पाया जाता है। सारांशतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना पायी जाती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि आलोच्य द्वितीय अपील मीमो में अपीलार्थी द्वारा असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

11. परिणामतः प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–09–2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.डी.मीणा)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य